FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0303 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/12/2024 20:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:10 बजे **Time To (समय तक):** 16:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/12/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/12/2024 20:18:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** karyalya nagar nigam hawa mahal amer, zone jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** mohhammad faim kureshi

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** mainnuddin kureshi

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	142, nayko ka mohhalla, shubash chowk, JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	142, nayko ka mohhalla, shubash chowk, JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Hargyan singh GURJAR		पिता:BHAJAN SINGH GURJAR	1. PANCHOLI,SIKRAI,DAUSA,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 12.11.2024 को मन् श्री बलराम सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ के पास एक व्यक्ति आया, जिसको पूर्ण नाम पता पूछा तो अपना नाम मोहम्मद फईम कुरैशी पुत्र श्री मईनुदीन कुरैशी निवासी मकान नम्बर 142, नायकों का मौहल्ला मोती कटला बाजार सुभाष चौक जयपुर होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि- 'सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर। विषय- हवामहल आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज उपायुक्त सीमा चौधरी एवं हरज्ञान चतुर्थ श्रेणी को रिश्वत लेते हुआ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरे द्वारा नगर निगम हैरिटेज में सरकारी भूमि पर कब्जा करने बाबत शिकायत दी गई थी जिसमें पाया गया कि सुभाष गुप्ता (संतोष गुप्ता) के द्वारा सरकारी भूमि एवं नाले की भूमि को छापकर लगभग 306.48 वर्गगज भूमि पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है जबकि इनके पास पट्टा शुदा भूमि 250.25 वर्गगज है। इस सम्बन्ध में नगर निगम ने माननीय न्यायालय एडीजे व हाईकोर्ट में भी सुभाष गुप्ता व सतोष गुप्ता द्वारा पट्टा शुदा भूमि से ज्यादा सरकारी भूमि व नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर शोरूम बना रखा है। राजस्थली जो आमेर थाने के पास आमेर में स्थित है। माननीय न्यायलय ने नगर निगम को अतिक्रमी भूमि पर कार्यवाही करने के निदेश दिये इसके बावजुद भी उपायुक्त सीमा चौधरी व अन्य स्टाफ सुभाष गुप्ता व संतोष गुप्ता से भारी रिश्वत लेकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है प्राथी द्वारा उपायुक्त सीमा चौधरी से सम्पर्क कर विधि कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया तो सीमा चौधरी उपायुक्त हवामल आमेर जोन द्वारा मुझ से यह कार्यवाही करने के लिए एक लाख की मांग की वह 50,000 रू 8/11/24 को मेरे से अपने चैम्बर में रिश्वत कर लिए एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। दिनांक 11/11/24 को मैं हवामहल आमेर जोन में गया तो वाह पर हरज्ञान नगर निगम कर्मचारी द्वारा मेरे से 50,000 रू और उपायुक्त सीमा चौधरी को बोला एवं खुद के लिए 25000 रू देने के लिए कहकर रिश्वत की मांग कर रहा है। मै एक सामज सेवी व्यक्ति हू मै इन भ्रषट नगर निगम कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता रंगे हाथे पकड़वाना चाहता हूं। मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तथा कोई लेन देन शेष नहीं है। अतः कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी मो0फईम कूरैशी पुत्र मईनुदीन कूरैशी निवासी मकान न 142, नायको का मौहल्ला, मोती कटला बाजार सुभाष चौक जयपुर। परिवादी से मजिद दरियाफ्त करने पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी ने बताया कि यह प्रार्थना पत्र मैने मेरे जानकार श्री आमीर पुत्र श्री मुफीक खान उम्र 32 साल जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 609, मौहल्ला गौरीयान, ईदगाह के पास दिल्ली बाईपास, पुलिस थाना गलतागेट जयपुर से लिखवाया तथा परिवादी ने बताया कि मै समाज सेवी हूं तथा राजनीती में भी पदाधिकारी हूं। सुभाष गुप्ता व उनकी पत्नी संतोष गुप्ता के नाम नगर निगम से एक 250.25 वर्गगज का प्लॉट आंवटित है परन्तु उक्त दोनो ने लगभग 306.48 वर्गगगज सरकारी व नाले की पर अवैध तरीके से कब्जा कर राजस्थली के नाम से शॉरूम बना रखा है। सरकारी भूमि जो नाले के पास है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करने पर बारीश का पानी कॉलोनी में आ जाता है जिससे कॉलोनी वासीयों को काफी परेशानी होती है। इस संबंध में मैने उपायुक्त आमेर व हवामहल जोन को शिकायत की तो उसने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय सैंशन न्यायालय व हाईकोर्ट ने भी उसके निर्माण को अवैध माना है तथा नगर निगम को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये। इसके बावजूद उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 08.11.2024 को मै सीमा चौधरी उपायुक्त आमेर जोन से मिला तो उनके द्वारा कार्यवाही करने के लिए मेरे से रिश्वत के 1 लाख रूपयें की मांग करी। मै समझ नहीं पाया और मैने उनके उसी समय 50,000 रूपये दे दिये। इसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं करने पर मै वापस दिनांक 11/11/2024 को आमेर जोन गया तो वहां पर उनके पास लगा हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री हरज्ञान से मिला तो उसने कहा कि मै आपका काम मैडम सीमा चौधरी से करवा दूंगा। इसके लिए आपको सीमा चौधरी के लिए 50,000 रूपये व स्वयं के लिए 25,000 रूपये की मांग करी। मै इन दोनो भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। परिवादी से दरियाफ्त व प्रार्थना पत्र से मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वती राशि की मांग कर प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया पाये जाने पर मांग सत्यापन करवाना आवश्यक है। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित ओम प्रकाश कानि. नं.438 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी मोहम्मद कुरैशी से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकलवाकर उसका खाली होना सुनिश्चित करवाकर परिवादी को

डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया की समझाईश की गई। परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी व श्री ओमप्रकाश को आपस में एक-दूसरे के मोबाईल नंबर लेने के लिए कहा तथा श्री ओमप्रकाश कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी जाकर रिश्वती राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी के साथ जाने के निर्देश देने पर श्री ओमप्रकाश कानि ने डिजिटल वायस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाकर समय 12.45 पीएम पर रवाना हुआ। समय 03.15 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कानि उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस को बंद किया हुआ डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया तथा बताया कि मै डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर सरकारी मोटरसाईकिल से व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी व आमीर अपनी मोटरसाईकिल से कार्यालय से रवाना होकर साथ साथ सुभाष चौक पहुचे, जहां पर परिवादी ने अपने घर जाकर थोडी देर बाद आया। इसके बाद मै अपनी मोटरसाईकिल व परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से हवामहल आमेर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर परिवादी ने पता किया कि मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त कार्यालय में है या नहीं तो जानकारी प्राप्त हुई कि सीमा चौधरी उपायुक्त अभी कार्यालय में नहीं है तथा किसी कर्मचारी ने बताया कि आज कार्यालय आने की सम्भावना कम ही है। इस पर मै अपनी मोटरसाईकिल से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय के लिए रवाना हुआ व परिवादी वहीं आमेर में काम होने की कहकर चला गया। मै एसएमएस अस्पताल के पास ही पहुचा कि परिवादी श्री मोहम्मद कुरैशी का मेरे पास फोन आया और कहा कि मैडम सीमा चौधरी कार्यालय में आ गई है। आप वापस आ जाओ। इस पर मै रवाना होकर वापस हवामहल आमेर नगर निगम कार्यालय पहुचा, जहां पर परिवादी मुझे उपस्थित मिला। समय 02.04 पीएम पर मैने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर मांग सत्यापन हेतु नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के लिए रवाना किया। थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड देने पर मैने बंद कर अपने पास रख लिया। मैने मौके से परिवादी से आपकी वार्ता जरिये व्हाटसएप पर करवाई तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी सीमा चौधरी उपायुक्त व हरज्ञान सिंह से बात हो गई है। सीमा चौधरी ने फाईल को लीगल में भेजाना बताया है व श्री हरज्ञान ने रिश्वत राशि की मांग की तथा हरज्ञान ने कहा कि मै मैडम से बात कर बाद में बताता हूं। इसके पश्चात परिवादी ने अन्य कार्य होने से आईन्दा एसीबी कार्यालय आने के लिए कहा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखते हुऐ रूखसत किया। श्री ओम प्रकाश कानि ने बताया कि इसके पश्चात मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कम्प्यूटर की सहायता से चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा करी बातों की ताईद हुई तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रख दिया। दिनांक 18.11.2024 को समय 10.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी फईम कुरैशी का कॉल व्हाहटसएप पर आया और परिवादी ने बताया कि आज मुझे सीमा चौधरी उपायुक्त व श्री हरज्ञान सिंह से मेरे काम के संबंध में बात करनी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को बताया कि श्री उदय कानिस्टेबल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर आ रहा है, मै उसको आपके मोबाईल नम्बर दे रहा हूं, श्री उदय कानिस्टेवल आपसे सम्पर्क कर लेगा तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। इसके पश्चात समय 10.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री उदय कानि को जरिये व्हाटसएप पर कॉल कर परिवादी फईम कुरैशी के मोबाईल नम्बर बताकर निर्देश दिये कि कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर परिवादी फईम कुरैशी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कर कार्यवाही करने के लिए रवाना होवे। समय 03.36 पीएम पर श्री उदय कानि नम्बर 170 मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बदं हाल में मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा बताया कि मै आपके निर्देशानुसार कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर हवामहल आमेर नगर निगम कार्यालय के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में मैने परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, उसके बाद समय 12.20 पीएम पर परिवादी का मेरे पास फोन आया, तो उसने बताया कि आप नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के बाहर आ जाओ, जिस पर मै नगर निगम कार्यालय हवामहल आमेर के पास पहुंचा, जहां पर मैने परिवादी के मोबाईल नम्बर पर [redacted] पर कॉल किया तथा थोडी देर बाद एक व्यक्ति आया तथा स्वयं का नाम मोहम्मद फईम कुरैशी बताया तथा मैने भी स्वयं का नाम पता बताया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि सीमा चौधरी उपायुक्त अभी कार्यालय में आई नहीं है। इसके बाद मै वही नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के बाहर अपनी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ मुकिम हो गया तथा परिवादी ने बताया कि मेरे आवश्यक कार्य है, इसलिये मै थोडी देर बाद आता हूं। समय 02.35 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया तथा बताया कि सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर अब कार्यालय मे आ गई है तथा मांग सत्यापन की कार्यवाही हो सकती है। जिस पर मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को समय 02.38 पीएम पर सुपुर्द करने पर परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के अन्दर गया तथा मै परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर कार्यालय में पहुंचकर गोपनीयता बनाये रखते मुकिम हुआ, कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द करने पर मैने बंद कर अपने पास रख लिया तथा मैने आपकी वार्ता परिवादी से जरिये व्हाटसएप पर करवाई,

परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन ने कहा कि अभी मै फाईल देखकर काम करूंगी। इसके पश्चात मै श्री हरज्ञान से मिला तथा उसने एक लाख रूपये में बात होना व पूर्व में पचास हजार रूपये लेना स्वीकार किया है। इसके पश्चात परिवादी ने अन्य कार्य होने से आईन्दा एसीबी कार्यालय आने के लिए कहा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखते हुऐ रूखसत किया। श्री उदय शर्मा कानि ने बताया कि इसके पश्चात मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा कई बातों की ताईद हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी मे रख दिया। दिनांक 19.11.2024 को समय 11.15 एएम पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसएप फोन आया और मुझे कहा कि मै आज नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय में जाकर सीमा चौधरी उपायुक्त व श्री हरज्ञान सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से बात करनी है। इसलिये आप समय 02.00 पीएम के आस पास श्री उदय कानि को भिजवा देना । समय 12.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री उदय कानिस्टेबल को कार्यालय में बुलाया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर श्री उदय कानिस्टेबल को सुपुर्द किया तथा निर्देश दिये कि आप नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के पास पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करे तथा इसके पश्चात श्री उदय कानिस्टेबल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के नगर निगम नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के लिए रवाना किया। समय 03.30 पीएम पर श्री उदय कानिस्टेबल उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में सुपुर्द कर बताया कि मै डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर सरकारी मोटरसाईकिल से कार्यालय से रवाना होकर समय 01.28 पीएम पर नगर निगम नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के पास पहुचाए जहां पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित मिला, जिसको मैने गोपनीयता बनाये रखते हुऐ डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर देकर समय 01.33 पीएम पर रवाना किया। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के अन्दर चला गया, मै भी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के आस पास मुकिम हुआ। परिवादी नगर निगम आमेर कार्यालय में सीमा चौधरी उपायुक्त के कक्ष में गया, थोडी देर बात एक व्यक्ति से बात की। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा मैने आपकी वार्ता परिवादी से जरिये व्हाटसएप पर करवाईए परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी पहले श्री हरज्ञान से बात हुई। उसने मैडम सीमा चौधरी से मिलने के लिए कहा। इसके बाद में अन्दर गया, जहां पर मेरे साथ और भी कई व्यक्ति मैडम से मिलने अन्दर चले गये। मेरी मैडम से बात हुई तो उसने लीगल राय आने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद मै बाहर आया तथा श्री हरज्ञान से मिला, तथा उसको मैडम द्वारा कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा तो हरज्ञान ने 50,000 रूपये वापस दिलाने के लिए कहा। इसके पश्चात परिवादी ने अन्य कार्य होने से आईन्दा एसीबी कार्यालय आने के लिए कहा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखते हुऐ रूखसत किया। श्री उदय शर्मा कानि ने बताया कि इसके पश्चात मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा कई बातों की ताईद हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी मे रख दिया। दिनांक 20.11.2024 को समय 04.15 पीएम पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसएप फोन आया और मुझे कहा कि मेरी अभी हरज्ञान से बात हुई है उसने मुझे कल 11.00 एएम पर नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय बुलाया है। अतः मेरी कल सीमा चौधरी उपायुक्त व श्री हरज्ञान से बात हो सकती है। इसलिये आप श्री उदय कानि को भिजवा देना। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की दिनांक 21.11.2024 को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लालसोट मे शाहदत नियत होने से लालसोट जाना आवश्यक है। इसलिये श्री उदय कानिस्टेबल को बुलाकर कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर सुपुर्द किया तथा आवश्यक हिदायत दी कि कल दिनांक 21.11.2024 को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। दिनांक 21.11.2024 को समय 05.25 पीएम पर समय श्री उदय कानिस्टेबल उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में सुपुर्द कर बताया कि मेरे पास परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को फोन आने पर मै डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर सरकारी मोटरसाईकिल से कार्यालय से समय 11.50 एएम पर रवाना होकर नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के पास समय 12.05 पीएम पर पहुचा, जहां पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित मिला, जिसको मैने गोपनीयता बनाये रखते हुऐ, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर देकर समय 12.37 पीएम पर रवाना किया। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के अन्दर चला गया, मै भी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के आस पास मुकिम हुआ। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय में सीमा चौधरी उपायुक्त के कक्ष में गया तथा थोडी देर बाद परिवादी वापस आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिसको मैने बंद कर अपने पास रख लिया। इसके पश्चात परिवादी ने

बताया कि अभी संदिग्ध अधिकारी आये नहीं, इसलिये कोई वार्ता नहीं हुई है। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया तथा बताया कि कार्यालय में संदिग्ध अधिकारी सीमा चौधरी आ गई है, जिस पर मैने परिवादी को समय 02.08 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर देकर रवाना किया। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के अन्दर चला गया, मै भी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के आस-पास मुकिम हुआ। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय में सीमा चौधरी उपायुक्त के कक्ष में गया। कुछ समय बाद लगभग 02.45 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया और मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मुझे आरोपी हरज्ञान कार्यालय नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर में नही मिला, तो मैने उसको फोन लगाया, थोडी देर बाद आया, जब मै व आरोपी हरज्ञान मैडम के पास गये, जहां पर मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर जोन के समक्ष आरोपी हरज्ञान कहता है कि "फईम जी के काम को सल्टाओ'तो सीमा चौधरी कहती है कि " फईम जी के काम को सल्टाउं फाईल पढ लू फाईल सुबह् से पडी है मेरे पास टाइम मिल रहा नहीं है फाईल पढ रही हूं क्या रिपोर्ट आयी है नही है तो हम आपकी अमानत जरूर लौटा देंगे'इसके बाद अन्य वार्ता के पश्चात मैने मैडम को कहा कि " तो बोल फईम भाई कि आपने पचास हजार तो दे दिये, " तो मैडम सीमा चौधरी ने कहा कि "हूं तो परिवादी ने कहा कि " अब पचास और बाकी है तो आप एक काम करो लाख रूपये दे दो'तो सीमा चौधरी कहती है कि "हूं " तथा भाई ऐसी कोई नहीं है फाईल को तो देख लू लग रही हूं इतनी मोटी फाईल है एक एक चीज पढूंगी तो टाइम लगेगा ना, आदि वार्ता। इसके पश्चात परिवादी ने बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझे दिया जिसको मैने बंद कर अपने पास रख लिया। इसके पश्चात परिवादी के आवश्यक कार्य होने से वही से चला गया। मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी से जरिये व्हाटसएप फोन पर वार्ता की तो परिवादी ने उपरोक्त वार्ता की ताईद की तथा परिवादी ने बताया कि मैने लीगल में मेरी पत्रावली के बारे में जानकारी की तो वहां मेरी पत्रावली नहीं गई, सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर मेरे से झूठ बोल रही है। मै एक दो दिन बाद सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर के पास जाकर बात करूंगा। दिनांक 29.11.2024 समय 09.50 एएम पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसएप फोन आया और मुझे कहा कि श्री उदय कानि को समय 10.30 एएम तक नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर के पास भिजवा देना। मै वहीं मिल जांउगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये व्हाटसएप पर श्री उदय कानि को निर्देश दिया कि कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी लेकर नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर पहुंचने के निर्देश दिये, वहां पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी आपको मिल जायेगा तथा मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। इसके पश्चात समय 11.40 एएम पर श्री उदय कानिस्टेबल उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में सुपुर्द कर बताया कि मै डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर सरकारी मोटरसाईकिल से कार्यालय से समय 10.00 एएम पर रवाना होकर नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर के पास समय 10.40 एएम पर पहुचा, जहां पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित मिला, जिसको मैने गोपनीयता बनाये रखते हुऐ, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर देकर समय 10.41 पीएम पर रवाना किया। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के अन्दर चला गया, मै भी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के आस पास मुकिम हुआ। परिवादी नगर निगम आमेर कार्यालय में सीमा चौधरी उपायुक्त के कक्ष में गया तथा थोडी देर बाद बाहर आकर एक व्यक्ति से वार्ता कर परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिसको मैने बंद कर अपने पास रख लिया। इसके पश्चात मैने आपकी वार्ता परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी से जरिये व्हाटसएप से करवाई। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने जाकर मैडम से कहा कि फाईल तो एलआर तक नहीं गई, तो उसने कहा कि 'मै भेज देती हूं आप ले जाओ ना खुद ले जाओ ना साथ में विजय जी" तथा मैने मैडम को हरज्ञान सिंह द्वारा खर्चा वर्चा दे मांगने के संबंध में बताया, तो मैडम ने कहा कि "नहीं मै बोल दूंगी," आदि वार्ता मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होना पाई गई। इसके पश्चात मै बाहर आकर श्री हरज्ञान से बात की तथा मैने हरज्ञान को मेरे पैसे वापस दिलाने के लिए कहा तो उसने कहा कि सुबह् आ जाना दिला देंगे, आदि वार्ता हुई। इसके पश्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्य होने से एसीबी कार्यालय आने के लिए मना किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी। उदय कानि ने बताया कि मै रवाना होकर कार्यालय आ गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चलाकर सुना तो संदिग्ध अधिकारी श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त आमेर जोन नगर निगम जयपुर द्वारा परिवादी के कार्य के लिए लीगल राय लेने के बाद कार्य करने के लिए बोल रही है तथा आरोपी हरज्ञान द्वारा परिवादी के पैसे वापस मैडम से दिलाने के लिए बोल रहा है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी। दिनांक 03.12.2024 को परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसएप फोन समय 09.30 एएम पर आया और मुझे कहा कि मेरी आज श्री हरज्ञान से बात हुई तथा उसने मुझे आज ही नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय बुलाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज मुझे पूर्व में लिये गये मेरे 50,000 रूपये मैडम से

लेकर देगा तथा परिवादी ने बताया कि वो अब मेरे प्रार्थना पत्र के अनुसार काम नहीं करेंगे, अगली पार्टी सुभाष गुप्ता से 5 लाख रूपये के लगभग लेने की मुझे सूचना मिली, जो विश्वसनीय है तब ही मेरा जायज काम नहीं कर रही है। वो मेरे 50,000 रूपये वापस लौटाऐंगे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को एसीबी कार्यालय में समय 11.00 एएम पर आने की हिदायत दी। श्री अशोक हैड कानि को स्वतंत्र गवाह को पाबन्द कराने की हिदायत दी गई व समस्त स्टाफ को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। इस समय परिवादी श्री मोहम्म्द फईम कुरैशी उपस्थित कार्यालय आया तथा उपरोक्त बातों की ताईद की। इस समय स्वतंत्र गवाह बोदीलाल शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री रामफुल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित कार्यालय आये, जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम बोदीलाल शर्मा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन विभाग झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर होना व दुसरे ने अपना नाम रामफुल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय प्रादेशिक परिवहन विभाग झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर होना बताया। इसके पश्चात परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी व स्तवंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न कागजात दिखाये व पढवाये गये। समय 02.00 पीएम पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की जामा तलाशी श्री रामफूल मीणा से लिवाई गई, परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल फोन के अलावा कुछ भी संदिग्ध दस्तावेज व राशि नहीं मिली। परिवादी को मोबाईल फोन वापस दिया गया। समय 02.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अशोक हैड कानि से कार्यालय की अलमारी से नया कार की वीडीयो रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड मंगवाया तथा श्री उदय कानि को बुलाया जाकर की- वीडीयो रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को दिखाया जाकर चालू व बंद करने की विधि समझाई गई एंव नया मेमोरी कार्ड 32 जीबी सेन्डडिस्क कम्पनी का लगाया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी कि आपको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने के साथ साथ उक्त की-वीडीयो रिकॉर्डर को हाथ में रखकर वीडीयों रिकॉर्डर भी करना है। समय 02.30 पीएम पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती रजनी मीणा पुलिस निरीक्षक के साथ अशोक मुख्य आरक्षक न 54, श्री दयाचन्द हैड कानि, श्री ओमप्रकाश कानि. न. 438 श्री सरदार सिंह कानि न 187, अजय कुमार कानि न. 190, श्री उदय शर्मा कानि न 170, श्रीमती शिमला मीणा मकानि. नं. 163 व श्री विशाल बाछल कनिष्ठ लिपिक व स्वतंत्र गवाह बोदीलाल शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री रामफुल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरकारी वाहन मय चालक एवं मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की स्कुटी पर परिवादी के साथ श्री उदय कानिस्टेबल न 170 रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साथ मय सरकारी वाहन मय चालक के सरकारी वाहन आरजे 14 यूए 1392 के पीछे पीछे एसीबी कार्यालय से ट्रेप कार्यवाही के लिए नगर निगम हवामहल आमेर जयपुर के लिए रवाना होकर समय 03.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रतनदीप सहायक उप निरीक्षक सरकारी वाहन के मालपानी हॉस्पिटल के पास छोटी चौपड पहुचा, जहां पर पीछे पीछे श्रीमती रजनी मीणा पुलिस निरीक्षक के साथ अशोक मुख्य आरक्षक न 54, श्री दयाचन्द हैड कानि, श्री ओमप्रकाश कानि. न. 438 श्री सरदार सिंह कानि न 187, अजय कुमार कानि न. 190, श्री उदय शर्मा कानि न 170, श्रीमती शिमला मीणा मकानि. नं. 163 व श्री विशाल बाछल कनिष्ठ लिपिक व स्वतंत्र गवाह बोदीलाल शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री रामफुल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मय सरकारी वाहन व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी मय श्री उदय कानिस्टेबल न 170 भी स्कुटी से पहुंचे, जहां पर वाहनो को साईड में खडा करवाया। तत्पश्चात श्री उदय कानि को परिवादी को रवाना करने के निर्देश दिये, जिस पर समय 03.12 पीएम पर उदय कानि ने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व की- वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर देकर नगर निगम आमेर कार्यालय के लिए रवाना किया तथा परिवादी के पीछे पीछे श्री उदय कानि व स्वतंत्र गवाहान, श्रीमती रजनी मीणा पुलिस निरीक्षक व श्रीमती शिमला मीणा महिला कानि एवं श्री अशोक हैड कानि को रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व शेष जाप्ता भी छिपाव हासिल करते हुऐ नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के आस पास मुकिम हुऐ। समय 03.43 पीएम पर समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास श्री उदय कानि व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी आये तथा उदय कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व की- वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बदं हालात मे सुपुर्द किया। श्री उदय कानि ने बताया कि परिवादी ने बाहर आकर साईड में जाकर मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व की- वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिनको मैने बंद कर अपने पास रख लिया। इसके बाद मै व परिवादी बाहर आ गये। परिवादी श्री मोहम्मद कुरैशी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया मुझे श्री उदय कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर देने पर मै नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के अन्दर गया, जहां पर मुझे श्री हरज्ञान मिला, हरज्ञान ने कहा कि एक दो दिन रूक जा, मैडम उक्त बिल्डिंग को सीज करने वाली है आदि वार्ता हुई। इसके पश्चात मै व हरज्ञान सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन के कक्ष में अन्दर गये, जहां पर सीमा चौधरी उपायुक्त मुझे मिली तथा अन्य लोग भी उपस्थित थे मैडम ने उनसे बात करने के पश्चात मैडम ने मुझे कहा कि "आज इसको फाईनल करने जा रही हूं।" फिर मैने मैडम सीमा चौधरी व हरज्ञान को साईड में दुसरे कक्ष में दो मिनट के लिए ले गया, जहां पर मैने मैडम व हरज्ञान सिंह से बात हुई है तथा हरज्ञान

ने कहा कि तसल्ली तो रख, मैडम आज मैडम फाईनल, आदि वार्ता हुई तथा फिर मैने अन्य वार्ता कर मैडम को हरज्ञान की ओर ईशार कर कहा, इसने मुझे बोला कि फईम भाई तुम सुबह आ जाओ, और तुम पैसे ले जाओ, तुम्हारे पचास हजार रूपये, मैडम के घर से ले आउंगा" आदि वार्ता हुई तथा मैडम सीमा चौधरी ने भी अपनी सहमति दी। इसके पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि अब मैडम अगर उसको शॉरूम सीज करेगी तो मेरे से 50,000 रूपये और लेगी, अगर शॉरूम सीज नहीं करेगी तो वो मुझे मेरे 50,000 रूपये जो पूर्व मे दिये वो लौटाऐगी। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त किया तथा समस्त एसीबी जाप्ता को गोपनीयता बनाये रखते हुऐ एसीबी कार्यालय के लिए रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान श्री रतनदीप बापट सहायक उप निरीक्षक मय सरकारी वाहन के समय 04.50 पीएम पर एसीबी कार्यालय पहुंचा, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त किया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सुना तो परिवादी द्वारा कही बातो की ताईद हुई तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद किया व की-वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से चालू कर देखा तो वीडीयों रिकॉर्ड होना पाया गया। इसके पश्चात की- वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद कर दोनो रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख दिया। दिनांक 05.12.204 को समय 03.10 पीएम पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित कार्यालय आया तथा परिवादी ने बताया कि मै मैडम से बात कर लेता हुं, वो कार्यालय मे है या नहीं। परिवादी ने जरिये व्हाटसएप पर सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन से वार्ता कर बताया कि सीमा चौधरी उपायुक्त आज कार्यालय में नहीं मिलेगी। किसी अन्य कार्य में व्यस्त है। मुझे कल इसी समय बुलाया है। इसके पश्चात परिवादी को कल समय पर कार्यालय उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया। दिनांक 16.12.2024 को समय 10.15 एएम पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसएप फोन आया, परिवादी ने बताया कि आज मै नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर में जाउंगा, जहां पर मै मेरे काम के लिए सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर जोन व हरज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वार्ता करूंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री उदय कानिस्टेबल को कार्यालय में बुलाया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर श्री उदय कानिस्टेबल को सुपुर्द किया तथा निर्देश दिये कि आप परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी के साथ नगर निगम आमेर कार्यालय जाकर मांग सत्यापन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु समय 12.50 पीएम पर रवाना किया। इस समय 03.07 पीएम पर श्री उदय कानिस्टेबल उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में सुपुर्द कर बताया कि मै डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर सरकारी मोटरसाईकिल से व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी अपनी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 01.10 पीएम पर नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के पास पहुचे, जहां पर मैने परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को गोपनीयता बनाये रखते हुऐ डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर देकर समय 01.20 पीएम पर रवाना किया। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के अन्दर चला गया, मै भी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के आस पास मुकिम हुआ। परिवादी नगर निगम आमेर कार्यालय में सीमा चौधरी उपायुक्त के कक्ष में गया, थोडी देर बात एक व्यक्ति से बात किया। करीब समय 1.30 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया और मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। मैने आपकी बात परिवादी से जरिये व्हाटसएप से करवाई। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "आज मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त आमेर जोन आई नहीं है। मेरी हरज्ञान से बात हुई है, तो उसने कहा कि मैने मैडम से कहा कि फईम का काम कर दो, आपको 01 लाख रूपये और दिला दूंगा। अगर मैडम काम नहीं करेगी तो मै मैडम से पैसे लेकर आपको दे दूंगा। इसके बाद हरज्ञान ने मेरे से कुछ राशि की मांग करी तो मैने उसको अभी मना कर दिया।" इसके बाद परिवादी ने कहा कि मेरे जरूरी कार्य है इसलिये मै बाद में एसीबी कार्यालय आ जांउगा। श्री उदय शर्मा कानि ने बताया कि इसके पश्चात मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी द्वारा कही बातो की ताईद हुई। परिवादी मोहम्मद फईम के आईन्दा एसीबी कार्यालय आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 18.12.2024 को समय 10.15 ए एम पर समय परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसएप फोन आया, परिवादी ने बताया कि आज मै नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर में जाकर सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर व हरज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वार्ता करूंगा। आप श्री उदय कानि को करीब 01.30 पीएम के आस पास नगर निगम आमेर कार्यालय भिजवा देना। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी। समय 01.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री उदय कानिस्टेबल को कार्यालय में बुलाया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर श्री उदय कानिस्टेबल को सुपुर्द किया तथा निर्देश दिये कि आप नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर जाकर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी से सम्पर्क कर मांग

सत्यापन की कार्यवाही करे तथा समय 01.15. पीएम पर श्री उदय कानि 170 को रवाना किया। समय 03.10 पीएम पर श्री उदय कानिस्टेबल व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित कार्यालय आये तथा श्री उदय कानि न 170 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हाल में सुपुर्द किया कर बताया कि मै डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर सरकारी मोटरसाईकिल से समय 01.15 पीएम के करीब पर ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 01.45 पीएम पर नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय के पास पहुचा, जहां पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी मुझे उपस्थित मिला, जिसको मैने गोपनीयता बनाये रखते हुऐ डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को समय 1.47 पीएम पर चालू कर देकर रवाना किया। परिवादी नगर निगम आमेर कार्यालय के अन्दर चला गया, मै भी गोपनीयता बनाये रखते हुऐ परिवादी के आस पास मुकिम हुआ। परिवादी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर कार्यालय में जाकर एक व्यक्ति से बात किया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद हम दोनो समय 02.35 पीएम पर रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "आज मुझे हरज्ञान ही मिला जिसने मेरे से बात करी और मुझे कहा कि शाम को चार बजे आ जाना आपके पैसे वापस दिला दूंगा। सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर कार्यालय में ही थी, परन्तु हरज्ञान ने अभी मिलने के लिए मना किया" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी द्वारा कही बातो की ताईद हुई। थोडी देर के बाद परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी अभी समय 3.17 पीएम पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर श्री हरज्ञान के मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन आया, जिसने कहा कि तुम शाम को आना मत, अभी पैसो की व्यवस्था नहीं हुई है। मै कल 10-11 बजे के आस पास कॉल करू तब कार्यालय आना। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद हालात में सुरिक्षत कार्यालय की अलमारी में रखा तथा श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को बुलाकर स्वतंत्र गवाहान व समस्त एसीबी स्टॉफ को कल दिनांक 19.12.2024 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने की हिदायत दी गई। दिनांक 19.12.2024 को समय 10.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री खुशीराम जाट व श्री अमृतलाल मीणा उपस्थित कार्यालय आये, जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री खुशीराम जाट हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर होना व दुसरे ने अपना नाम श्री अमृतलाल मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर होना बताया। समय 10.50 एएम पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी उपस्थित आया, जिसने बताया कि श्री हरज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मेरे से बार बार पैसो की मांग कर रहा है तथा दिनांक 16.12.2024 को भी कुछ पैसों की मांग करी है, मै उसको कुछ पैसे दूंगा, तब वो मुझे सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर से मेरे 50,000 रूपये वापस दिलायेगा। इसलिये आज श्री हरज्ञान को 5000 रूपये की रिश्वत देते हुऐ पकडवाना चाहता हूं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को बुलाकर स्वतंत्र गवाहान को बुलाने व समस्त स्टॉफ को पाबन्द करने व ट्रैप बॉक्स को तैयार करने के निर्देश दिये। समय 11.02 एएम पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से कहा कि अब समय 11 बज गये है। श्री हरज्ञान ने मुझे 11 बजे तक नगर निगम आमेर कार्यालय बुलाया है एक बार उससे मोबाईल पर वार्ता कर लेता हूं। इसके पश्चात परिवादी मोहम्ममद फईम कुरैशी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री हरज्ञान के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की तो हरज्ञान ने कहा कि अभी मैडम आई नहीं है, मैडम के आने पर मै बात कर बताता हूं। मै काल करू जब आ जाना । इस पर श्री हरज्ञान के मोबाईल का इन्तजार किया गया। थोडी देर के बाद परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी के मोबाईल नम्बर से श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर को दुबारा कॉल करवाया गया तो उसने बात कर टालमटोल करता रहा। इसके पश्चात परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी व स्तवंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न कागजात दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.10 पीएम पर समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोहम्मद फईम कुरैशी पुत्र श्री मईनुदीन कुरैशी निवासी मकान नम्बर 142, नायकों का मौहल्ला मोती कटला बाजार सुभाष चौक जयपुर को संदिग्ध आरोपी हरज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये (पांच हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को पेश किये। जिनका विवरण फर्द में अंकित किया। इसके पश्चात परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात श्री दयाचन्द हैड कानि. नं 07 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थैलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगवाई जाकर फिनोफ्थैलीन पाउडर एक अखबार पर निकलवाकर 5,000/- रूपये के नम्बरी नोटो पर श्री दयाचन्द हैड कानि. नं 07 से

भली-भांति से लगवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री खुशीराम जाट से लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके बाद श्री दयाचन्द हैड कानि न. 07 से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुए 5,000/- रूपये के नोट परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी की पहने हुए लोअर की सामने की दांहिनी की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईश की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे अगर अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे हाथ नही मिलावे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर[redacted] पर मिस्ड काल कर ईशारा करे व दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि आप यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री दयाचन्द हैड कानि न 07 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उसको तथा प्लास्टिक के गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया, श्री दयाचन्द है.कानि. से गुलाबी घोल को फिकवाकर हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया व श्री मनीष है.कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी कार्यालय आलमारी में रखवायी गयी। गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व कांच की शिशीयों जो पूर्व में अच्छी तरह साफ करवाकर तथा सुखवायी गयी थी को भी ट्रेप बॉक्स में रखा गया। कार्यालय की अलमारी से पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान प्रयोग में लिए गए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड व की-वीडीयो मय मेमोरी कार्ड को निकलवाकर कानि. उदय को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गयी गयी परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए एसओ के पास जाने से पूर्व चालू कर देवे। श्री दयाचन्द है.कानि को ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। समय 01.30 पीएम पर समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती रजनी मीणा पुलिस निरीक्षक के साथ श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक न 09, श्रीमती शिमला मीणा मकानि न 160, स्वतंत्र गवाहान श्री अमृतलाल मीणा सरकारी वाहन डिजायर मय चालक के व सरकारी बोलेर नम्बर आरजे 14 यूए 1392 में श्री अजय जाट कानि न 190 व श्री विशाल वरिष्ठ सहायक मय मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री व परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को स्वयं के स्कुटी व श्री उदय कानि न 170 को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री अशोक हैड कानि नम्बर 54, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री अजय मीणा कानि 154 व स्वतंत्र गवाहान श्री खुशीराम जाट वरिष्ठ सहायक के पीछे पीछे एसीबी कार्यालय से ट्रेप कार्यवाही के लिए नगर निगम हवामहल आमेर जयपुर के लिए रवाना होकर समय 02.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के चैगान स्टेडियम के पास पहुचा, जहां पर श्री रजनी मीणा मय हमराहियान मय सरकारी वाहन व श्री अजय जाट कानि व विशाल बाछल वरिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन एवं परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी व श्री उदय कानि भी उपस्थित आये, सभी वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। इसके पश्चात श्री उदय कानि ने परिवादी को विभागीय वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व कार की-वीडीयो मय मेमोरी कार्ड को चालू कर समय 02.12 पीएम पर देकर अग्रिम कार्यवाही के लिए नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर के लिए रवाना किया तथा परिवादी के पीछे पीछे श्री उदय कानि व स्वतंत्र गवाहान, श्रीमती रजनी मीणा पुलिस निरीक्षक व श्रीमती शिमला मीणा महिला कानि एवं श्री अशोक हैड कानि को रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व शेष जाप्ता भी छिपाव हासिल करते हुऐ नगर निगम आमेर कार्यालय के आस पास मुकिम हुऐ। समय 3.45 पी. एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की एक्टिवा स्कूटी न आर जे 60 एससी 6443 पर आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर पीछे बैठकर नगर निगम कार्यालय से जाते हुए दिखे, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री उदय कानि व श्री सरदार सिंह कानि को सरकारी मोटर साईकिल से एक्टिवा स्कुटी न आर जे 60 एससी 6443 से पीछा करने का निर्देश दिया व श्री रजनी मीणा पुलिस निरीक्षक व श्रीमती शिमला म कानि को आरोपी सीमा चौधरी उपायुक्त कार्यालय के बाहर खडे रह कर निगरानी रखने के निर्देश दिये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एसीबी स्टॉफ व स्तवंत्र गवाहान के सरकारी वाहन से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ, थोडी दूर आगे चलकर देखा कि परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी व आरोपी श्री हरज्ञान सिंह सफाई कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य एसीबी स्टॉफ

गोपनीयता बनाये रखते हुऐ निगरानी करने लगे, इसके पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने समय 04.10 पीएम पर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेर कर ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को श्री उदय कानि न 170 व श्री विशाल वरिष्ठ सहायक से पकडवाया तथा परिवादी मोहम्मद फईम कुरेशी ने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व कार की-वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दिया, जिस पर मैने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व कार की-वीडीयो रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद कर अपने पास रख लिया। इसके पश्चात उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने बताया कि यही श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी है जिसने अभी अभी मुझे मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये 50,000 रूपये में से 30,000 रूपये दिये, जिस पर मैने इसको कहा कि मुझे तो पूरे 50,000 रूपये ही चाहिए तथा मैडम सीमा चौधरी से बात करने के लिए कहा, तो श्री हरज्ञान सिंह ने कहा कि अभी तो तुम यह रख लो, मैडम से बात कर लेना। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र श्री भजन सिंह गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी/जमादार कार्यालय उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन हैरिटेज जोन जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त जगह आम रास्ता है, जहां पर काफी वाहन आ व जा रहे है तथा वाहनो की काफी आवाज आ रही है एवं जगह सुरक्षित नहीं होने की वजह से श्री उदय कानि नम्बर 170 व श्री सरदार सिंह कानि नम्बर 187 के साथ मोटरसाईकिल पर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी को बिठाकर नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के लिए रवाना किया तथा पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एसीबी जाप्ता भी नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय के लिए रवाना हुऐ, नगर निगम हवामहल आमेर कार्यालय पहुंचकर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर को श्री उदय कानि व श्री विशाल वरिष्ठ सहायक के पास साईड में लेकर जाने के लिए कहा तथा परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन के कार्यालय में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर रवाना किया, थोडी देर बाद श्री मोहम्मद फईम कुरैशी बाहर आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड देने पर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने कहा कि मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर से मेरी बात हुई, जो विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन के कार्यालय में कई व्यक्ति बैठे है। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी व श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी को लेकर सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर हैरिटेज जयपुर के कार्यालय के अन्दर गये, जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय दिया, जिस पर वहां पर बैठे तीन चार व्यक्ति वहां से चले गये, इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सामने की सीट पर बैठी महिला से आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा उनका पूर्ण नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री मोहनलाल चौधरी उम्र 43 साल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 18, शंकर विहार विस्तार जगतपुरा, पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर हाल उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर हैरिटेज जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। इसके पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर जयपुर की और ईशारा कर बताया कि यही सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन है। मेरे द्वारा सुभाष गुप्ता (संतोष गुप्ता) के द्वारा पट्टा शुदा जमीन के अतिरिक्त सरकारी भूमि एवं नाले की भूमि को छापकर लगभग 306.48 वर्गगज भूमि पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है, जबकि इनके पास पट्टा शुदा भूमि 250.25 वर्गगज है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय एडीजे व हाईकोर्ट में भी सुभाष गुप्ता व सतोष गुप्ता द्वारा पट्टा शुदा भूमि से ज्यादा सरकारी भूमि व नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर राजस्थली के नाम से शोरूम बना रखा माना है। माननीय न्यायलय ने नगर निगम को अतिक्रमी भूमि पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये, इसके बावजुद भी उपायुक्त सीमा चौधरी व अन्य स्टाफ ने सुभाष गुप्ता व संतोष गुप्ता से भारी रिश्वत लेकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है, मेरे द्वारा उपायुक्त सीमा चौधरी से सम्पर्क कर विधिक कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया तो सीमा चौधरी उपायुक्त हवामल आमेर जोन द्वारा मुझ से यह कार्यवाही करने के लिए एक लाख की मांग की, वह 50,000 रू दिनांक 8/11/24 को अपने चैम्बर में रिश्वत राशि के लिये है एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर मैने दिनांक 12.11.2024 को एसीबी कार्यालय में आकर इनके विरूद्ध शिकायत की, जिस पर मांग सत्यापन करवाया गया, इस दौरान श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी ने मेरे से कई बार रिश्वत की राशि की मांग की तथा मुझे कहा कि मैडम को पैसे मैने दिये है, मै मैडम के घर से लाकर दूंगा। मांग सत्यापन के दौरान मै सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर से मिला, तो इस समय भी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी भी साथ ही था तथा मैने मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त को मेरे 50,000 रूपये वापस देने के लिए कहा, तो इन्होने कहा एक दो दिन रूक जाओ तथा विधिक राय लेकर कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 18.12.2024 को श्री हरज्ञान सिंह सफाई कर्मचारी से मिला तो उन्होने कहा कि आप आज शाम को चार बजे आ जाना, आपके पैसे वापस दिला दूंगा, आज मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त कार्यालय में नहीं आई है। दिनांक 18.12.2024 को समय 03.15 पीएम के आस पास श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी के मोबाईल

नम्बर [redacted] मेरे मोबाईल नम्बर पर [redacted] र समय करीब 03.15 पीएम पर फोन आया, तो श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर ने कहा कि आज मत आना कल मै सुबह फोन करू उस समय आ जाना। इस पर आज दिनांक 19.12.2024 को श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से समय 11.02 एएम पर फोन किया तो इसने बात कर कोई जवाब नहीं दिया, इसके पश्चात मै आपके साथ एसीबी कार्यालय से रवाना होकर यहा आया तो काफी देर तक श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी मुझे टालमटोल करता रहा। फिर कहा कि आज तुझे तेरे 50,000 रूपये वापस दे देंगे। इसके बाद श्री हरज्ञान सिंह ने सीमा चौधरी उपायुक्त से मिलकर आया तथा मुझे मेरी एक्टिवा आरजे 60 एस सी 6443 पर बिठाकर नगर निगम हवामहल आमेर जोन कार्यालय से थोडी दूर ले गया, जहां पर साईड में लगाकर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर ने मुझे 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000 रूपये वापस दिये, जिस पर मैने कहा कि मेरे से आपने 50,000 रूपये लिये है, अब मुझे 30,000 ही क्यो दे रहे हो। मैने मैडम से बात करने के लिए कहा तथा मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 04.00 पीएम पर जरिये व्हाटसएप पर वार्ता की, तो मैने मैडम सीमा चौधरी से कहा कि "ये मुझे 30,000 रूपये दे रहा है ये 30,000 रूपये मै नहीं लूंगा, पुरे पचास लूंगा साफ बात है" तो सीमा चौधरी ने कहा कि " हा तो कोई दिक्कत नहीं उससे बात कर लो मै बोल देती हूं ठीक" आदि बात हुई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन से पूछा कि आपने श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर के जरिये 30,000 रूपये किस बात के लौटाये है, जिस पर आरोपियां श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर ने कहा कि मैने इससे कोई पैसे नहीं लिये तथा श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर व श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की आपस में क्या बात हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, किस बात के रूपये के बारे मे बात कर रहे है। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने कहा कि श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर जोन झूठ बोल रही है तथा उपरोक्त बात की पुनः ताईद की। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को कम्प्यूटर की सहायत से जोडकर मांग सत्यापन के दौरान परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी व आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी व सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर के मध्य दिनांक 12.11.2024, दिनांक 18.11.2024, दिनांक 19.11.2024, दिनांक 21.11.2024, दिनांक 29.11.2024, दिनांक 03.12.2024, दिनांक 16.12.2024, दिनांक 18.12.2024 व दिनांक 19.12.2024 की वार्ता सुनाई गई, जिसके पश्चात आरोपियां श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल व आमेर जोन जयपुर ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जन से पुनः नाम पता पूछकर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी को अभी अभी 30,000 रूपये किस बात के दिये, जिस पर आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर ने कहा कि मैने एक डेढ महिने पूर्व मोहम्मद फईम कुरैशी से 30,000 रूपये उधार लिये थे, जो ही मैने मोहम्मद फईम कुरैशी को वापस दिये है। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने कहा कि आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी झूठ बोल रहे है। परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने कहा कि मेरे द्वारा सुभाष गुप्ता के शॉरूम राजस्थली जो आमेर में पुलिस थाना के पास है जिसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण तोडने की शिकायत नगर निगम हवामहल आमेर जोन में की थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर मै नगर निगम हवामहल आमेर जोन में आकर श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त व श्री हरज्ञान सिंह से मिला तो इन्होने मेरे से अतिक्रमण को तोडने के लिए 1 लाख रूपये की मांग कर मेरे से दिनांक 08.11.2024 को 50,000 रूपये लेकर सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन को दे दिये। इसके पश्चात मांग सत्यापन के दौरान आकर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी से मिला, तो इसने मेरा काम करवाने का आश्वासन दिया तथा मेरे से शेष 50,000 रूपये की मांग करी, परन्तु इनके द्वारा मेरी शिकायत पर काम नहीं करने पर मैने कहा कि आपने मेरे से 50,000 रूपये भी ले लिये और मेरा काम नहीं कर रहे हो तो, आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी ने मुझे कहा कि मै मैडम सीमा चौधरी के घर से 50,000 रूपये लाकर दे दूंगा तथा उक्त बात श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन के कार्यालय में इनके सामने हुई थी, तब श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामल आमेर जोन जयपुर ने भी सहमति दी है। इसके पश्चात दिनांक 18.12.2024 को मै डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर श्री हरज्ञान सिंह से मिला तो इसने कहा कि आज शाम को चार बजे आ जाना मै तेरे पैसे मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर से लेकर वापस दे दुंगा तथा मेरे से कुछ रिश्वत राशि की मांग भी करी, इसके बाद मै रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गया, जहां पर श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी नगर निगम हवामहल आमेर जोन ने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन कर कहा है कि आज मत आना कल 10-11 बजे के आस पास आ जाना, मै फोन करू तब, मैडम सीमा चौधरी आज कार्यालय में नहीं आई है। इसके बाद आज दिनांक 19.12.2024 को मैने सुबह 11 बजे के आस पास श्री हरज्ञान सिंह फोन किया तो टालमटोल करता रहा। इसके बाद मै जब आपके साथ एसीबी कार्यालय आया तो श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी से मिला तो इसने थोडी देर मुझे यही टालमटोल करता रहा तथा कहा कि आज तू रूक जा मैडम सीमा चौधरी उपायुक्त से पैसे लेकर तुझे दे दूंगा। इसके पश्चात श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी मेरी एक्टिवा स्कुटी नम्बर आरजे 60 एससी 6443

पर बैठकर मुझे नगर निगम हवामहल आमेर जोन कार्यालय से थोडी दूर ले गया, जहां पर साईड में स्कुटी खडा करवाकर मुझे 30,000 रूपये दिये, जिस पर मैने कहा कि मेरे से तो 50,000 रूपये लिये है, मुझे तो पूरे 50,000 रूपये ही चाहिए तथा श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी ने मैडम सीमा चौधरी से बात करने के लिए कहा तथा अभी तो तुम यह 30,000 रूपये रख लो, मैडम से बात कर लेना। इसके बाद मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर व हवामहल जोन जयपुर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 04.00 पीएम पर व्हाटसएप पर फोन लगाया, सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन को मैने कहा कि "यह हरज्ञान मुझे 30,000 रूपये दे रहा है मै तीस हजार नहीं लूंगा, मैने पचास हजार रूपये दिये है, तो मैडम सीमा चौधरी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है" आदि बात हुई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर को दिनांक 12.11.2024, दिनांक 18.11.2024, दिनांक 19.11.2024, दिनांक 21.11.2024, दिनांक 29.11.2024, दिनांक 03.12.2024, दिनांक 16.12.2024, दिनांक 18.12.2024 व दिनांक 19.12.2024 की विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कम्प्यूटर में जोडकर सुनाया गया तो आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी चुप हो गया तथा अपनी गर्दन नीचे कर ली एवं अपने हाथ के नाखूनो को आपस मे रगडने लगा। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री खुशीराम जाट वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी की पहनी हुऐ पायजामा की बाई साईड की जेब में से 500-500 रूपये के नोट निकाले, जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहन से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के कुल 60 नोट राशि 30,000 रूपये होना पाये गये, उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30000/- रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी ने अपने पहने हुऐ पायजामा की दाहिनी साईड की जेब में से 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर पेश किये, जो पूर्व में परिवादी को आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी द्वारा मांगने पर देने के लिए सुपुर्द किये थे, आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर द्वारा आज दिनांक 19.12.2024 को परिवादी से पैसे की मांग नहीं की तथा पूर्व में दिये गये 50,000 रूपये में से 30,000 रूपये की रिश्वत राशि लौटाई गई। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी द्वारा पेश किये गये 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये को स्वतंत्र गवाहान श्री खुशीराम जाट व श्री अमृतलाल मीणा से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान कर गिनवाये गये तो स्वतंत्र गवाहान ने उक्त राशि हूबहू होना बताया, उक्त भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर हवामहल जोन जयपुर से परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण पत्रावली के बारे में पूछा तो सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर हवामहल जोन जयपुर द्वारा कार्यालय में से एक पत्रावली निकालकर पेश की, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी द्वारा दिनांक 19.09.2024 को उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन को श्री सुभाष गुप्ता के राजस्थल शॉरूम आमेर पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में अपर जिला सैशंन न्यायाधीश क्रम संख्या 02 जयपुर महानगर द्वितीय के आदेश दिनांक 25.04.2024 की प्रतियां प्रस्तुत करने का पत्र व पत्रावली में उक्त अतिक्रमण के संबंध में कार्य लम्बित है। अतः उक्त मूल पत्रावली की फोटोप्रतियां करवाई जाकर श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन से प्रमाणित करवाई जाकर मूल पत्रावली वापस लौटाई गई तथा प्रमाणित प्रतियां प्रकरण के अनुसंधान में आवश्यक होने से पेज संख्या 01 से लगायत 283 तक जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगह बीएनएस में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर व श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर व श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त ने पृथक पृथक अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात समय 10.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी/जमादार नगर निगम आमेर हवामहल जोन जयपुर, जब्त शुदा रिश्वती राशि 30,000 रूपये व 5000 रूपये मय लैपटॉप प्रिन्टर व ट्रैप बॉक्स के मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुचा, जहां पर जब्त शुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये व 5000 रूपये एवं कब्जे एसीबी लिये गये दोनो मोबाईल फोन को श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर कार्यालय की अलमारी में सुरिक्षत रखवाया गया तथा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं कार की-वीडीयों रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया।

दिनांक 20.12.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी व स्वतंत्र गवाहान श्री खुशीराम जाट वरिष्ठ सहायक व श्री अमृत लाल कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकालकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में कम्प्यूटर की सहायता से जोडा गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 12.11.2024, दिनांक 18.11.2024, दिनांक 19.11.2024, दिनांक 21.11.2024, दिनांक 29.11.2024, दिनांक 03.12.2024, दिनांक 16.12.2024, दिनांक 18.12.2024 व दिनांक 19.12.2024 को परिवादी व आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी व श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर के मध्य आमने सामने हुई वार्ता होना पाई गई, रिकॉर्ड वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से चलाया जाकर स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी की उपस्थिती मे कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालू कर सूना जाकर रिश्वत की मांग के सम्बंध मे की गयी वार्ता की शब्द ब शब्द ट्रांस्क्रिप्ट पूर्व में तैयार की गयी, को सुनाने पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी द्वारा एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी व श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर की आवाज होने की पहचान की। उक्त रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्ताओं की कम्प्यूटर की सहायता से मूल सोर्स एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी से 05 डीवीडी तैयार की जाकर मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 दिया जाकर डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3 (A-1, A-2 न्यायालय हेतु A-3 आरोपी हेतु) को मुताबिक फर्द सील्डमोहर किया एवं डीवीडी मार्क A-4, A-5 (A-4 आईओ व A-5 एडीपी हेतु) को खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को पृथक से मुताबिक फर्द सील्डमोहर कर मार्क SD दिया गया। उक्त सील्डशुदा डीवीडियों व एसडी कार्ड पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रैप कार्यवाही के दौरान दिनांक 03.12.2024 को प्रयोग में लिये गये कार की-वीडीयों रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को जब्त कर पृथक से फर्द जब्ती मूर्तिब की गई। श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री मोहनलाल चौधरी उम्र 43 साल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 18, शंकर विहार विस्तार जगतपुरा, पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर हाल उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन जयपुर हैरिटेज जयपुर की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट किया जावेगा। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्द सुपुर्दगी, फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन, तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र श्री भजन सिंह गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी/जमादार कार्यालय उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन हैरिटेज जोन जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री मोहम्मद फईम कुरैशी द्वारा श्री सुभाष गुप्ता के शॉरूम राजस्थली आमेर जयपुर पर किये गये अतिक्रमण पर दी गई शिकायत पर कार्य करने की एवज में श्रीमती सीमा चौधरी उपायुक्त नगर निगम आमेर हवामहल जोन जयपुर के लिए 1 लाख रूपये की मांग कर दिनांक 08.11.2024 को 50,000 रूपये लेना व परिवादी के कार्य करने पर 01 लाख रूपये की और मांग करना तथा बाद में परिवादी के कार्य को नहीं करने पर परिवादी मोहम्मद फईम कुरैशी को दिनांक 19.12.2024 को पूर्व में लिये गये 50,000 रूपये की रिश्वत राशि में से 30,000 रूपये की रिश्वत राशि वापस लौटाते हुऐ रंगे हाथ पकडा जाने से आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र श्री भजन सिंह गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी कार्यालय उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन हैरिटेज जोन जयपुर के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र श्री भजन सिंह गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी कार्यालय उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन हैरिटेज जोन जयपुर के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित की गई। (बलराम सिंह मीणा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर.........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बलराम सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा (संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर पुत्र श्री भजन सिंह गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा हाल सफाई कर्मचारी कार्यालय उपायुक्त नगर निगम हवामहल आमेर जोन हैरिटेज जोन जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 252 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1677-80 दिनांक 21-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर । 2-आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज जयपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जयपुर-चतुर्थ जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan prakash naval **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)